अनुसूची

(धारा 19 और धारा 25 देखिए)

विद्यालय के लिए मान और मानक

क्रमांक	मद	मान और मानक	
1.	शिक्षकों की संख्या :		
	(क) पहली कक्षा से पांचवी कक्षा के लिए	प्रवेश किए गए बालक	शिक्षकों की संख्या
		साठ तक	दो
		इकसठ से नब्बे के मध्य	तीन
		इक्यानवे और एक सौ बीस के मध्य	चार
		एक सौ इक्कीस और दो सौ के मध्य	पांच
		एक सौ पचास बालकों से अधिक	पांच धन एक प्रधान अध्यापक
		दो सौ बालकों से अधिक	छात्र-शिक्षक अनुपात (प्रधान अध्यापक को छोड़कर) चालीस से अधिक नहीं होगा।
	(ख) छंठवी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए	(1) कम से कम प्रति कक्षा एक शिक्षक, इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए कम से कम एक शिक्षक हो- (i) विज्ञान और गणितः (ii) सामाजिक अध्ययन : (iii) भाषा। (2) प्रत्येक पैंतीस बालकों के लिए कम से कम एक शिक्षक। (3) जहां एक सौ से अधिक बालकों को प्रवेश दिया गया है वहां ... (i) एक पूर्णकालिक प्रधान अध्यापकः (ii) निम्नलिखित के लिए अंशकालिक शिक्षक.. (अ) कला शिक्षाः (आ) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षाः (इ) कार्य शिक्षा।	
2.	भवन	सभी मौसम वाले भवन, जिसमें निम्नलिखित होंगे- (i) प्रत्यके शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा और एक कार्यालय सह-प्रधान अध्यापक कक्षः (ii) बाधा मुक्त पहुंच	

		(iii) लड़को और लड़कियो के लिए पृथक शौचालयः (iv) सभी बालकों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेय जल सुविधाः (v) जहां दोपहर का भोजन विद्यालय में पकाया जाता है वहां एक रसोई (vi) खेल का मैदान (vii) सीमा दीवाल या बाड़ द्वारा विद्यालय भवन की सुरक्षा करने के लिए व्यवस्थाएं।
3.	एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवसों/शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या	(i) पहली से पांचवी कक्षा के लिए दो सौ कार्य दिवसः (ii) छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए दो सौ बीस कार्य दिवसः (iii) पहली कक्षा से पांचवी कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष आठ सौ शिक्षण घंटाः (iv) छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष एक हजार शिक्षण घंटें।
4.	शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों न्यूनतम संख्या	पैंतालीस शिक्षण घंटे जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी हैं।
5.	अध्यापन शिक्षण उपस्कर	प्रत्येक कक्षा के लिए अपेक्षानुसार उपलब्ध कराए जाएगें।
6.	पुस्तकालय	प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय होगा, जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं और सभी विषयों पर पुस्तकें, जिनके अंतर्गत कहानी की पुस्तके भीं हैं, उपलब्ध होंगी।
7.	खेल सामग्री, खेल और क्रीड़ा उपस्कर	प्रत्येक कक्षा की अपेक्षानुसार उपलब्ध कराए जाएगें।

राष्ट्रपति ने दि राईट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कम्पल्सरी एजूकेशन एक्ट 2009 के उपरोक्त हिन्दी अनुवाद को राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

सचिव, भारत सरकार